फर्द अहकाम

दुजारी बनाम गजेन्द्रसिंह

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौमूं (जयपुर)

340/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7.2.2021	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित हैं। बहस पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया। प्रा.पत्र 47 नियम 1 व जवाब प्रा.पत्र एवं कुर्रेजात का परीक्षण किया गया तो दिनांक 12.8.2021 को प्राथमिक डिक्री करते वक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता की ओर से वकील उपस्थित था, अगर प्राथमिक डिक्री निर्णय में किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उस वक्त आपत्ति पेश कर सकता था जो आपत्ति पेश नहीं की गयी न ही इस बाबत डिक्री अपर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। संशोध प्रतिवादी की तामील के सम्बन्ध हस्तीमल बाबत प्रहलाद बनाम सरकार वा. दीगर मिसल 226/21 में सभी पक्षकार हैं। इस प्रकार सभी पक्षकारान की तामील होना व हाजिर होना पाया जाता है। जो उक्त पत्रावली के साथ 226/21 को समान पक्षकार व समान भूमि होने के कारण आदेश दिनांक 8.10.2021 के अनुसार साथ पेश होने के कारण दर्ज किया की जाती है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र 47 नियम 1 का पत्रावली में कुर्रेजात रिपोर्ट आ चुकी है। इस स्तर पर स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते क्योंकि अगर प्रार्थी को कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति थी तो कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 6.10.2021 को प्राप्त हो चुके हैं जिन पर आपत्ति उठाई जा सकती थी जो कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी द्वारा आपत्ति नहीं की जाकर प्रा.पत्र 47 नियम 1 का पेश किया जो सारहीन एवं प्रकरण को लम्बा किये जाने की गरज से पेश किया गया जो खारिज किया जाता है व यादाश्त मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चौमूं (जयपुर)	